

2025/467

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

बनाम तहसीलदार धोद

भागूराम

मु.नं. 213 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा

136 CR

दिनांक
15/07/25

आज्ञा - पत्र

प्रार्थी भागूराम पुत्र बालू राम जाति बलाई निवासी ग्राम माण्डोली तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम माण्डोली पटवार हल्का मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 136 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि नानू पुत्र बालू दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि भागूराम पुत्र बालू राम है। प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि भागूराम पुत्र बालू राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि नानू पुत्र बालू के स्थान पर भागूराम पुत्र बालू राम दुरुस्त किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: कैम्प/2025/13 दिनांक 28.06.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।

अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम माण्डोली पटवार हल्का मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 136 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि नानू पुत्र बालू के स्थान पर भागूराम पुत्र बालू राम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: कैम्प/2025/13 दिनांक 28.06.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हों।



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

